**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1672

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों को मानदेय**

**1672. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे किः

(क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के॰जी॰बी॰वी॰) में कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के मुख्य रसोइयों और सहायक रसोइयों को दिए जाने वाले मानदेय में अंतर के क्या कारण हैं;

(ख) इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जाएगा; और

(ग) मानदेय में अंतर के चलते बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग): वर्ष 2018-19 से प्रभावी एकीकृत स्‍कूल शिक्षा योजना – समग्र शिक्षा में तत्‍कालीन सर्व शिक्षा अभियान (कक्षा 6 से 8 के लिए केजीबीवि के घटक सहित), और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (कक्षा 9 से 12 के लिए बालिका छात्रावास के घटक सहित) की केन्‍द्रीय प्रायोजित योजनाओं को मिलाया गया है। इस योजना के तहत वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, लेखाकार और रसोइया जैसी जन शक्‍ति की लागत सहित सभी खर्चों के लिए केजीबीवी को एकमुश्‍त आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है।

1. केजीबीवी के लिए, कक्षा VI से VIII तक 60 लाख रूपये प्रतिवर्ष
2. केजीबीवी के लिए, कक्षा VI से X तक 80 लाख रूपये प्रतिवर्ष
3. केजीबीवी के लिए, कक्षा VI से XII तक 1 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष
4. मौजूदा स्‍टैंड-एलोन बालिका छात्रावास के लिए, कक्षा IX से XII के लिए 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष

राज्‍यों को समग्र अनुदानों के तहत विभिन्‍न आवर्ती मदों के लिए घटक-वार आबंटन का निर्णय लेने की छूट है। वेतन/मानदेय सहित कर्मचारियों के सेवा नियम एवं शर्तें, संबंधित राज्‍यों के दायरे में आते हैं।

**\*\*\*\*\***